



# हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

## Board of School Education Haryana, Bhiwani

(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)

No. BSEH/SEC/2024

‘प्रेस नोट’

Circular No.: 32  
Dated : 30.10.2024

### हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2024

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षा निदेशालय, सैकेण्डरी शिक्षा विभाग हरियाणा, पंचकुला के निर्देशानुसार हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2024, लेवल 3 (PGT) की परीक्षा का आयोजन दिनांक 07.12.2024 (शनिवार) एवं लेवल 2 (TGT) व लेवल 1 (PRT) की परीक्षा का आयोजन दिनांक 08.12.2024 (रविवार) को करवाया जा रहा है। परीक्षा से सम्बन्धित सूचना-पत्रक (Information Bulletin) हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में बोर्ड की अधिकारिक वेबसाईट [www.bseh.org.in](http://www.bseh.org.in) पर उपलब्ध है।

इच्छुक उम्मीदवार हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2024 के लिए दिनांक 04.11.2024 दोपहर 01:00 बजे से दिनांक 14.11.2024 (रात्रि 12:00 बजे) तक वेबसाईट [www.bseh.org.in](http://www.bseh.org.in) पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार सूचना-पत्रक में दर्शाए गए सभी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़कर/समझकर अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। ऑनलाईन आवेदन व परीक्षा शुल्क सफलतापूर्वक जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी पुष्टिकरण-पृष्ठ (Application Form) की प्रति लेना सुनिश्चित कर लें। शुल्क का भुगतान दिनांक 14.11.2024 रात्रि 12.00 से पहले तक किया जा सकता है।

अभ्यर्थी अपने विवरण, फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान, लेवल, विषय के चयन (लेवल-2 व 3), जाति वर्ग, दिव्यांग श्रेणी व गृह राज्य में ऑनलाईन संशोधन दिनांक 15.11.2024 दोपहर बाद से 17.11.2024 तक कर सकते हैं। दिनांक 14.11.2024 के बाद आवेदन तथा दिनांक 17.11.2024 के बाद संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी। इस संदर्भ में कोई भी प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिनांक 15.11.2024 से 17.11.2024 तक संशोधन करते समय अगर अभ्यर्थी अपने जाति वर्ग में एस0सी0 हरियाणा से अन्य जाति वर्ग या दिव्यांग श्रेणी हरियाणा से अन्य राज्य दिव्यांग श्रेणी में परिवर्तन करता है तो उसे बकाया फीस के अन्तर का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त अगर अभ्यर्थी अपने जाति वर्ग में अन्य राज्य जाति वर्ग से एस0सी0 हरियाणा में परिवर्तन करता है या दिव्यांग श्रेणी अन्य राज्य से दिव्यांग श्रेणी हरियाणा राज्य में परिवर्तन करता है, तो उसे अतिरिक्त जमा शुल्क वापिस देय नहीं होगा। ई-मेल, पत्र व अन्य माध्यम से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदक इस बात का भी विशेष ध्यान रखे कि एक बार पंजीकरण उपरान्त परीक्षार्थी अगर अन्य लेवल की परीक्षा देने का इच्छुक है तो उसी पंजीकरण के अन्तर्गत ही दूसरे लेवल के लिए आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी नवीनतम जानकारी/अपडेट के लिए वेबसाईट [www.bseh.org.in](http://www.bseh.org.in) का नियमित अवलोकन करते रहें ताकि किसी भी महत्वपूर्ण व अति-आवश्यक जानकारी/सूचना से वंचित न रहें। अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई उत्पन्न होती है तो हैल्पडेस्क नं० 8938001176, 8958001178 व ई-मेल आई0डी0 htethelpdesk@gmail.com व चैट बॉक्स पर संपर्क कर सकते हैं।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना आवेदन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें। यदि कोई अभ्यर्थी एक लेवल के लिए एक से अधिक आवेदन करता है, तो उसका आवेदन/पात्रता रद्द कर दी जाएगी।

सचिव



Hansi Road, Bhiwani-127021  
[www.bseh.org.in](http://www.bseh.org.in)

